

दयाल सिंह कॉलेज
DYAL SINGH COLLEGE
(दिल्ली विश्वविद्यालय) / UNIVERSITY OF DELHI

दिनांक / Dated: 13th February, 2026

IMPORTANT NOTICE

The refers to decision of E.C. No. 1275 dated 23.05.2025.

“The improvement of marks in a course/paper was approved by the AC an EC and notified vide notification no. CNC-II/093/1(22)/2022-23/dated 10.02.2023.

(iii) A student who has passed in a course/paper in an earlier semester, but wishes to improve the marks of both the theory (written exam marks) and Internal Assessment (IA) but excluding the attendance component of the IA, may be allowed to carryforward their previous attendance marks of IA and improve upon the rest of the two components i.e. Class Test and Assignment by re-registering for the course/paper and learning through self-study mode.

(iv) To ‘Re-register’ for a course/paper means to formally inform the College authority by a student of his/her intent to improve a course/paper.

For the sake of avoiding any confusion whatsoever, it is reiterated that as per Ordinance IX (2), improvement of marks obtained in a course/paper can be made in the immediately succeeding odd/even semester only. However, if a student has got an ‘Essential Repeat’ in a course/paper in the relevant semester, he/she may be allowed to appear for that paper and improve the components of that paper till the time he/she passes that course/paper. For instance, if a student fails in a course of semester I, he/she has to repeat in semester III, but if he/she again fails in that course/paper in semester III, then he/she shall be allowed to appear again in semester V.”

Essential Repeat Cases (Case for Re-registration): -

Students who have got ER in a paper/s and are not satisfied with their IA, CA and Practical marks are required to re-register and attend the course/paper classes.

The students of the II/IV/VI semesters, who have obtained grades more then “F” or “F/ER” in the course/paper (theory/practical/tutorial) in combined total in the II/IV/VI semester are required to fill the [Google form for registration](#) positively by **22.02.2026** form this Notice and as per decision of Delhi University a fee of Rs.100/- has to be deposited to arrange the process in the following college account.

ACCOUNT NAME: DSC STUDENTS WELFARE FUND

ACCOUNT NO: 66013734652

IFSC Code: SBIN0060321

BANK: State Bank of India

BRANCH: INST. AREA LODHI ROAD, NEW DELHI

The amount may be deposited via UPI / Net Banking / Paytm etc.

Google Form Link

<https://forms.gle/yJ9avLBi1urV74LG9>


13/2/26

(प्रोफेसर विनोद कुमार पालीवाल)

(Prof. V.K. Paliwal)

प्राचार्य/ Principal

Copy to:

1. Student Notice Board
2. College Website

दयाल सिंह कॉलेज
DYAL SINGH COLLEGE
(दिल्ली विश्वविद्यालय) / UNIVERSITY OF DELHI

दिनांक / Dated: 13th February, 2026

आवश्यक सूचना

यह निर्णय ई.सी. संख्या 1275 दिनांक 23.05.2025 को संदर्भित करता है।

"किसी पाठ्यक्रम/पेपर में अंको में सुधार को एसी और ईसी द्वारा अनुमोदित किया गया था और अधिसूचना संख्या सीएनसी-II/093/1(22)/2022-23/दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

(i) जो छात्र पिछले सेमेस्टर में किसी पाठ्यक्रम/पेपर में उत्तीर्ण हो चुका है, लेकिन सैद्धांतिक (लिखित परीक्षा के अंक) और आंतरिक मूल्यांकन (आईए) दोनों में अपने अंक सुधारना चाहता है, लेकिन आईए के उपस्थिति घटक को छोड़कर, उसे आईए के पिछले उपस्थिति अंको को आगे ले जाने और शेष दो घटकों, अर्थात् कक्षा परीक्षा और असाइनमेंट में सुधार करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए उसे पाठ्यक्रम/विषय के लिए पुनःपंजीकरण करना होगा और स्व-अध्ययन के माध्यम से सीखना होगा।

(ii) किसी पाठ्यक्रम/पेपर के लिए पुनःपंजीकरण करने का अर्थ है छात्र द्वारा कॉलेज प्राधिकरण को औपचारिक रूप से यह सूचित करना कि वह पाठ्यक्रम /पेपर में सुधार करना चाहता है।

किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए, यह दोहराया जाता है कि अध्यादेश IX (2) के अनुसार, किसी पाठ्यक्रम /पेपर में प्राप्त अंको में सुधार केवल अगले विषय/सम सेमेस्टर में ही किया जा सकता है। हालांकि, यदि किसी छात्र को संबंधित सेमेस्टर में किसी पाठ्यक्रम/पेपर में अनिवार्य पुनरावृत्ति मिली है, तो उसे उस पेपर में बैठने और उस पाठ्यक्रम /पेपर में उत्तीर्ण होने तक उस पेपर के घटकों में सुधार करने की अनुमति दी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र प्रथम सेमेस्टर के किसी पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे तृतीय सेमेस्टर में पुनरावृत्ति करनी होगी, लेकिन यदि वह तृतीय सेमेस्टर में भी उसी पाठ्यक्रम/पेपर में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे पंचम सेमेस्टर में पुनः बैठने की अनुमति दी जाएगी।

आवश्यक पुनरावृत्त मामले (पुनःपंजीकरण के लिए मामला): -

जिन छात्रों को किसी पेपर में ईआर मिला है और वे अपने आईए, सीए और प्रैक्टिकल के अंको से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें पुनःपंजीकरण कराना होगा और पाठ्यक्रम /पेपर की कक्षाओं में उपस्थित होना होगा।

द्वितीय/चोथे/छठे सेमेस्टर में संबंधित पाठ्यक्रम/पत्र (सैद्धांतिक/ प्रैक्टिकल/ट्यूटोरियल) में कुल मिलाकर "एफ" या "एफ/ईआर" से अधिक ग्रेड प्राप्त करने वाले द्वितीय/चोथे/छठे सेमेस्टर के छात्रों को इस सूचना के अनुसार 22.02.2026 तक पंजीकरण के लिए गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य है और दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्णय के अनुसार प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित कॉलेज खाते में 100/- रुपये का शुल्क जमा करना होगा।

ACCOUNT NAME: DSC STUDENTS WELFARE FUND

ACCOUNT NO: 66013734652

IFSC Code: SBIN0060321

BANK: State Bank of India

BRANCH: INST. AREA LODHI ROAD, NEW DELHI

यह राशि यूपीआई / नेट बैंकिंग / पेटीएम आदि के माध्यम से जमा की जा सकती है।

गूगल फॉर्म लिंक

<https://forms.gle/yJ9avLBi1urV74LG9>


13/2/26

(प्रोफेसर विनोद कुमार पालीवाल)

(Prof. V.K. Paliwal)

प्राचार्य/ Principal

प्रति:

1. छात्र सूचना पट्ट
2. कॉलेज वेबसाइट